

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ पचवारा जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :-

श्री बदरी नारायण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-

37/25 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. लोहड्या पुत्र नारायण
2. प्रभू पुत्र नारायण
3. दीपक कुमार पुत्र लोहडीराम दत्तक पुत्र मूलीराम
4. धापा पत्नी मंगला
5. सीताराम पुत्र मंगला समस्त जाति मीना निवासी टूटियावास तहसील राहूवास जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास जिला दौसा।

(अप्रार्थी)


उपस्थिति:- 1. श्री विष्णु कुमार शर्मा अधिवक्ता-(प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र वास्ते करवाये जाने पत्थर गढी
(अं० धारा 128 एल आर एक्ट)
:: निर्णय ::

दिनांक:-12.06.2025

प्रार्थना पत्र में अंकित संक्षिप्त वृत्तान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख०नं० 100 रकबा 0.6197 है०, ख०न० 105 रकबा 0.0506 है० ख०न० 16/191 रकबा 0.3920 है०, ख०न० 56 रकबा 0.5438 है०, ख०न० 90 रकबा 0.5311 है० कुल किता 5 कुल रकबा 2.1372 है० भूमि वाकै ग्राम टूटियावास तहसील राहूवास जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजी में प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि पर पड़ोसी खातेदारो से सीमा संबंधी विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। इसलिए प्रार्थीगण की भूमि का पुलिस इमदाद से सीमा चिन्ह अंकित करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने का अनुतोष चाहा है।


उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट में पेश करने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट होने से तहसीलदार से वस्तुस्थिती की जॉच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी कर रिपोर्ट दिनांक 04.06.2025 पत्र क्रमांक/भू०अ०/2025/846 तलब की गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी ख०नं० 100 रकबा 0.6197 है०, ख०न० 105 रकबा 0.0506 है० ख०न० 16/191 रकबा 0.3920 है०, ख०न० 56 रकबा 0.5438 है०, ख०न० 90 रकबा 0.5311 है० कुल किता 5 कुल रकबा 2.1372 है० भूमि वाकै ग्राम टूटियावास तहसील राहूवास जिला दौसा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। तहसीलदार द्वारा उक्त आराजियात की पत्थरगढी पुलिस इमदाद के साथ किये जाने की अभिशंभा की है।


उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा जिला-दौसा (राज)




वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवम वस्तुस्थिती रिपोर्ट का आधोपान्त अध्यन किया गया। प्रार्थीगण आराजी ख०नं० 100 रकबा 0.6197 है०, ख०नं० 105 रकबा 0.0506 है० ख०नं० 16/191 रकबा 0.3920 है०, ख०नं० 56 रकबा 0.5438 है०, राहूवास जिला दौसा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है। व स्वयं की आराजी की पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थीया की खातेदारी भूमि आराजी ख०नं० 100 रकबा 0.6197 है०, ख०नं० 105 रकबा 0.0506 है० ख०नं० 16/191 रकबा 0.3920 है०, ख०नं० 56 रकबा 0.5438 है०, ख०नं० 90 रकबा 0.5311 है० कुल किता 5 कुल रकबा 2.1372 है० भूमि वाकै ग्राम टूटीयावास तहसील राहूवास जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदारों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे। प्रार्थीया से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्तकारों को प्रार्थीया के खर्चे पर सूचित करे। उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ता की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर से पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर न्यायालय के आदेश की पालना करावें। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार राहूवास को भिजवाई जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


बदरी नारायण मीना

उपस्थान्त अधिकारी
रामगढ पंचवारा, जिला दौसा।

यह आदेश आज दिनांक 12.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर हस्ताक्षरित व उच्चारित किया गया।


उपस्थान्त अधिकारी
रामगढ पंचवारा, जिला दौसा।